राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 539–पीबीआर / 15 **जिला** होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–7–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.1.23015 का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 116 के अंतर्गत पूर्व में अस्तित्व में रही प्रविष्टि को शुद्ध किया जा सकता है, नवीन प्रविष्टि नहीं की जा सकती है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाकर अपील निरस्त करने में प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । **(मनोज गोयल)** अध्यक्ष	

115 [illegible]

निगरानी 539-PBR-15

समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल म.प्र.

चुन्नीलाल साहू आ0 मुकुंदीलाल साहू
निवासी ग्राम टीकरी तहसील सोहागपुर
जिला होशंगाबाद --------- पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

रामसुख साहू आ0 मुकुंदीलाल
निवासी ग्राम टीकरी तहसील सोहागपुर
जिला होशंगाबाद -------- अनावेदक

श्री प्रमोद गौर अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 11-3-15 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।

16-3-15

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता.

न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदा पुरम संभाग होशंगाबाद के प्रकरण क्र. 57/अपील /09-10 चुन्नीलाल विरूद्ध रामसुख साहू (द्वितीय अपील) मे पारित आदेश दिनांक 15.1.2015 जिसमें इस अपीलार्थी की अपील नामंजूर करते हुये उक्त विवादित आदेश पारित किया है जिससे विपरीत प्रभावित होकर निम्न आधारो पर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत है ।